60

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर,म0प्र0

निग०-: 9255-I-16

प्र0क0 निगरानी

सतीश कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल वैश्य जाति वैश्य निवासी विजयपुर, जिला श्योपुर,म0प्र0

—आवेदक

बनाम

1—श्रीगणेश प्रसाद शिक्षा संस्थान विजयपुर, जिला श्योपुर द्वारा उपाध्यक्ष, पदम सिंह रावत पुत्र श्री इन्दर लाल रावत, निवासी ग्राम सुनवई, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर,म0प्र0

2—अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना,म0प्र0।

—अनावेदकगण

श्री प्रदीप कुमार शर्मा अभि0 द्वारा दिनांक 15-11-16 को प्रस्तुत।

15-11-16

514
15-11-16

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म0प्र0भू.रा.संहिता

श्रीमान्‌जी,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्नप्रकार प्रस्तुत है :—

1. यह कि अनावेदक कमांक—1 द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश दिनांक 28.05.2012 के विरूद्ध लगभग ढाई वर्ष पश्चात दिनांक 28.12.2014 को आवेदक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो कि प्रकरण कमांक 83/2014—15 पर लम्बित है।
2. यह कि उक्त अपील में अनावेदक श्री गणेश शिक्षा संस्था द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया जिस आवेदक को माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा धारा 5 के आवेदन का निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। अपने आदेश दिनांक 23.06.2016 में यह उल्लेख किया है कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जावेगा, जो कि न्यायोचित नहीं है।
3. यह कि उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा तहसील न्यायालय विजयपुर से मूल प्रकरण को तलब किया गया था लेकिन तहसील न्यायालय के प्रवाचक द्वारा यह टीप लगाई गई कि प्रकरण न तो प्रवाचक के पास है और ना हीं प्रकरण जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध है। उक्त

आ.तीन/२०७०२१

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध - 9255 - I/16 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–2–17	मेरा स्थानान्तरण हो जाने के कारण इस प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया जा सका । अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । सदस्य	
3.5.17	आवेदक अभि. श्री प्रदीप शर्मा उप.। प्रकरण कार्यवाही पतवे हेतु C.F 3.5.17	03/5/17 P.A (प्रदीप शर्मा) A.
3/5/17	आवेदक अभिवक्ता को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक अभिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अना. शासन की ओर से पैनल अभिवक्ता उप.। सदस्य	R.V. 3/5/17